न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

रेफरेन्स मुकदमा नम्बरः— 07/2016

उनवान प्रकरण

मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थित वाके ग्राम पुरानीछावनी तहसील व जिला धौलपुर जरिये वाद मित्र पुजारी श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री बावूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान .... प्रार्थी

बनाम

1—मु0 रामवती पत्नी स्व0 रनवीरसिंह । समस्त जातिगण गुर्जर
2—बच्चूसिंह ।
3—मौहरसिंह । पुत्रगण रनवीरसिंह ।
4—रामभजनसिंह ।
5—रामहेतसिंह । समस्त निवासीगण
6—श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री रनवीरसिंह ।
7—दुर्गासिह पुत्र बहादुरसिंह । ग्राम पुरानीछावनी
8—अमृतलाल ।
9—राजेश । पिसरान कप्तानसिंह ।
10—विशाल । तहसील व जिला धौलपुर
11—राजौ पत्नी अखैसिंह ।
12—सुआदेवी वेवा स्व0 वीरवल ।
13—गुलावसिंह ।
14—औतारसिंह । पिसरान स्व0 वीरवल ।
15—अखैसिंह ।
16—करतारसिंह ।
17—प्रेमलता ।
18—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....अप्रार्थीगण

1—प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुभाष शर्मा वास्ते वापिस लिये जाने प्रा0पत्र रैफरेन्स
2— प्रार्थना पत्र आर्धीन आदेश—1 नियम 10 जा0दी0 सपठित धारा 151सी.पी.सी.

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः मन्दिर श्री ठाकुरजी बनाम मु0रामवती वगैरा
रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 7/2016

उपस्थिति :–

प्राथी की ओर से :– श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से:– श्री अम्बरीष श्रीवास्तव एडवोकेट
प्रार्थी प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10सीपीसी श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 08.06.2018

प्रार्थी मन्दिर ठाकुर जी जरिये वाद मित्र सुभाष शर्मा पुत्र श्री बावूलाल शर्मा ने दिनांक 6.4.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर पहले मन्दिर की जागीर में लगे हुए थे बाद में उपरोक्त नम्बरान की जागीर वापिस ले ली गई एंव मन्दिर को वार्षिक वृति प्रदत्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। प्रार्थी को उक्त कानूनी बिन्दुओं की जानकारी नहीं थी। अतः उसने यह प्रकरण मन्दिर के हित में दायर कर दिया था किन्तु अब कई अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात प्रार्थी इस निर्णय पर पहुॅचा है कि प्रार्थी द्वारा दायर किया हुआ प्रकरण सारहीन होने के कारण विड्रॉ किया जावे। अतः प्रार्थी ने न्यायहित में लम्बित रैफरेन्स प्रकरण को वापिस लेने एवं इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक श्री किशनसिंह त्यागी ने प्रार्थी श्री मुकन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दिर ठाकुर जी महाराज पुरानीछावनी धौलपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र आधीन आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. पेश किया जिसमें प्रार्थी ने यह कथन किया कि अज्ञात भू–माफिया एवम प्रोपर्टी डीलरो ने प्रार्थी के वाद मित्र श्री सुभाषचन्द शर्मा को आथिक लाभ का लालच देकर वर्तमान प्रकरण के रैफरेन्स को विड्रो करने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6.4.2018 को प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रकरण रैफरेन्स की पैरवी मन्दिर की ओर से पिछले 2 साल से वर्तमान प्रार्थना पत्र का प्रार्थी मुकन्द शर्मा कर रहा है। मन्दिर ठाकुर जी महाराज के वाद मित्र श्री सुभाषचन्द्र शर्मा ने दिनांक 22.6.2016 को एक शपथ पत्र स्वंय द्वारा मन्दिर की पूजा अर्चना एवं देखरेख में असमर्थ बताते हुये प्रार्थी मुकन्द शर्मा को मन्दिर का पुजारी नियुक्त करने बावत दिया है। मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज के वाद मित्र ने एक आवेदन श्रीमान आयुक्त महोदय देव स्थान विभाग (जागीर) उदयपुर राजस्थान को वर्तमान प्रार्थना पत्र के मुकन्दशर्मा को मदिर का पुजारी नियुक्त करने तथा अतिक्रमण हटाने बावत प्रस्तुत किया है। मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज सार्वजनिक मन्दिर है जिस पर प्रार्थी के वाद मित्र सुभाषचन्द शर्मा का एकाधिकार नहीं है, मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज स्थित पुरानी छावनी धौलपुर की पूजा अर्चना सुभाषचन्द शर्मा के साथ प्रार्थी करता रहा है।

अति0 जिला कलक्टर

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः मन्दिर श्री ठाकुरजी बनाम मु0रामवती वगैरा
रैफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 7/2016

करीव 2 साल से प्रार्थी एकान्तिक रूप से पूजा अर्चना कर रहा है तथा देख रेख मरम्मत कर रहा है तथा प्रार्थी मय परिवार के मन्दिर परिसर के आवासीय भाग में निवास कर रहा है। वर्तमान प्रकरण विवादित आराजी एवं विवादित मन्दिर से प्रार्थी का सीधा हित निहित है। प्रार्थी को मन्दिर के वाद मित्र सुभाषचन्द शर्मा के स्थान पर वादमित्र बनाया जाना प्रकरण के प्रभावी निराकरण हेतु आवश्यक एंव न्यायसंगत है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किय जाकर प्रार्थी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज के वाद मित्र सुभाषचन्द शर्मा का नाम डिलीट कर प्रार्थी मुकन्द शर्मा को वाद मित्र बनाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 17 ने प्रा0 पत्र आधीन आदेश–01 नियम–10 जा0दी0 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जबाव प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का अस्वीकार करते हुये कथन किया कि वाद मित्र सुभाष शर्मा व मुकन्द शर्मा का ना तो कोई हित विवादित आराजी में निहित है और ना ही ठाकुरजी महाराज का किसी प्रकार का कोई हित उपरोत सम्पत्ति में मौजूद है। उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजी का कोई सम्बध व सरोकार श्री ठाकुरजी महाराज से नहीं है। जमीदारी पुनःग्रहीत किये जाने के पश्चात से ही अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार रहे है एवं आज तक बदस्तूर बने हुए है। प्रार्थी सुभाष शर्मा के दामाद मुकन्द शर्मा द्वारा अपने ससुर को वहका कर एवं अप्रार्थीगण को ब्लेकमेल करने के उद्वेश्य से यह रैफरेन्स दायर किया गया था जिसका की विधिक अधिकार सुभाष शर्मा को नहीं था क्योकि जागीरदारी पुनःग्रहीत किये जाने के पश्चात सुभाश शर्मा को वार्षिक वृति भुगतान करने के आदेश देवस्थान विभाग के द्वारा दिये जा चुके है जिससे यह सावित होता है कि श्री ठाकुरजी महाराज का कोई हित, स्वत्व विवादित आराजी में नहीं है तो उनकी ओर से कोई भी वादमित्र रेफरेन्स दायर करने के लिये अधिकृत नहीं है। अप्रार्थीगण यह भी निवेदन करते है कि उपरोक्त विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल भी रेफरेन्सकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सावित कर सके कि विवादित आराजी श्री ठाकुरजी महाराज के नाम दर्ज रही हो। इसके पूर्व भी एक प्रार्थना पत्र भवानीशंकर, विरमादेवी, मुकेश, दिनेश, उमेश, नरेश, लवकुश को विवादित आराजीयात बावत पक्षकार बनाये जाने हेतु मुकंद शर्मा की सह पर सुभाष शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे यह सावित होता है कि मुकंद शर्मा मंदिर के नाम पर रेफरेंस कर अप्रार्थीगण एवं गॉव के अन्य लोगों को ब्लेकमेल करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मुकन्द शर्मा सारहीन होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रा0पत्र प्रार्थी मुकन्द शर्मा के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि मन्दिर की आराजी जागीर पुनःग्रहित नहीं की गई क्योंकि मंदिर के नाम के इन्द्राजात सम्बत 2016 लगा0 2019 की जमाबन्दी में रहे है मंदिर की आराजी पर धारा 15 एवं

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

धारा 19 के नीचे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है क्योंकि मंदिर मूर्तियो नावालिग होते है जो काश्त करने में असमर्थ होते है इसलिये मंदिर की आराजी पर खातेदारी अधिकार किसी भी विधि के अन्तर्गत नहीं दिये जा सकते है तथा धारा 46 से हिट होते हैं। मंदिर की आराजी के बावत पुजारी या किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा यह कह देने मात्र से कि मंदिर की जागीर पुनःग्रहीत करली गई है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सन 1952 के वाद सम्बत 2016 लगा0 2019 की जमाबन्दी जो सन 1959 बैठता है मंदिर के नाम के इन्द्रांज रहे है लेकिन किसी भी राजस्व अभिलेख में यह दर्ज नहीं है कि अप्रार्थीगण को आराजी किस आधार पर एव किस कानून के तहत आई है। अप्रार्थीगण को भी अपने अधिकार खातेदारी का स्त्रोत बताना चाहिए। अप्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के नाम सन 1952 में राजस्व अभिलेख में वतौर खातेदार दर्ज हो गये हो और मंदिर का नाम विलोपित 1952 में ही कर दिया हो। मंदिर की आराजी पर आरटीए प्रभाव में आने पर यदि कोई काबिज भी है तो भी खातेदारी अधिकार धारा 15 या 19 आरटीए के नीचे प्राप्त नहीं किये जा सकते है। गलत इन्द्राजो एव गलत आदेशो के विरूद्व रैफरेन्स के लिये कोई म्याद नहीं है तथा नावालिग के लिये म्याद का प्रश्न तय करने के लिये कोर्ट को लिवरल व्यू लेना चाहिए प्रार्थी ने मिसिल हकीयत के अलावा जमावन्दी सम्बत 2016 लगा0 2019 प्रस्तुत की है जिसमें मंदिर के नाम के इन्द्रांज है। प्रार्थी ने सुभाष शर्मा ने जो प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश किया है वह प्रोपट्री डीलरो एवं भू माफियो के वहकावे एव दबाव में आकर प्रस्तुत किया है वर्तमान में मंदिर की पूजा अर्चना सुभाष की पुत्री ज्योति तथा दामाद मुकन्द शर्मा कर रहे है तथा इन्ही के कब्जे में मंदिर है इस बावत सुभाष शर्मा ने एक शपथ पत्र दिनांक 22.06.2016 को मुकन्द शर्मा के हक में तहरीर एव तस्दीक किया है। रेफरेन्स जनहित में है रैफरेन्स करना कोई निर्णय नहीं है केबल एक रैवन्यू वोर्ड को भेजने का आदेश मात्र है। रैफरेन्स करने से किसी के अधिकार बनते या समाप्त नहीं होते है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 2012(2) आर आर टी पेज 833, 2009(1) आर आर टी पेज 03, 1994 आर आर डी पेज 319, 1993 आर आर डी पेज 266 के न्यायिक दृष्टायान्त पेश कर प्रार्थी को पक्षकार बनाते हुये प्रकरण को रैफरेन्स किये जाने की प्रार्थना की।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि रैफरेन्स कर्ता द्वारा साविक खसरा नम्बर 578,579,580,581,582,583 बॉके ग्राम पुरानीछावनी को मंदिर ठाकुर जी खुदकाश्त में होना बताया गया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज (मिलान क्षेत्रफल) अपने कथन की पुष्ठि में प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सावित करे कि प्रकरण में विवादित वर्तमान नम्बर साविक नम्बर 578,579,580,581,582,583 से बने हों अगर रैफरेन्सकर्ता के इस कथन को सत्य भी मान लिया जाये कि आराजी खसरा नम्बर 578,579,580,581,582,583

अति0 जिला कलक्टर

ठाकुर जी खुद काश्त में थे तो रैफरेन्सकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्बत 1968 की मिसिल हकीयत पेश की है उसे 107 साल हो चुके है और उस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ था। यदि यह मान लिया जावे कि सम्बत 1968 में ठाकुरजी महाराज की खुदकाश्त में विवादित भूमि उनकी जागीर में लगी हुई थी तो यह जागीर सम्बत 2009(सन 1952) के समय पुनःग्रहीत करली गई और अप्रार्थीगण उस विवादित भूमि के खातेदार हो गये एव काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से लेकर आज तक विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है एवं उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने 2016 से 2019 में जिस जमाबन्दी में ठाकुर जी के नाम इन्द्रांज की बात कही है उस जमाबन्दी में खातेदार के कॉलम में अप्रार्थीगण का नाम है। इस बात का प्रमाण रैफरेन्स कर्ता को राजस्व रिकार्ड द्वारा प्रस्तुत करना है कि आराजी विवादित पुनःग्रहीत नहीं की गई अथवा अप्रार्थीगण के नाम अवैधानिक एन्ट्र की गई है ना कि अप्रार्थीगण को क्योंकि कानून का यह सर्वमान्य नियम है जो व्यक्ति जिस बात को चेलेन्ज करता है सावित करने का भार भी उसी व्यक्ति का होता है। कलैक्ट्रेट धौलपुर द्वारा दिनांक 18.2.2016 को एक पत्र सुभाषचन्द शर्मा को उसकी शिकायत 1015277584369 के सन्दर्भ में भेजा गया है जिसमें परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि मंदिर की भूमि को पुजारी को सुपुर्द किया जाये जिसमें जॉच कर कलक्ट्रेट से यह जबाव दिया गया है कि वर्तमान रिकार्ड में भूमि मंदिर के नाम दर्ज नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से ही खातेदारी के नाम दर्ज हो चुके है जिससे यह सावित होता है कि खातेदारान के नाम विधिवत तरीके से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये है और उपरोक्त नम्बरान के बावत कोई भी रैफरेन्स पोषणीय नहीं है। इस सम्बध में आर आर टी 2009–10 पेज 294, आर आर टी 2009–10 पेज 173, आर आर टी 2017 पेज 434, आर आर टी 2017 पेज 518, आर आर टी 2017 पेज 310, आर बी जे 2012 पेज 359 साइट की गई है, जिसका मुख्य सिद्वान्त यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सैक्शन 15 एवं राज. लैण्ड रिफरेन्स एण्ड रिजम्सन एण्ड जागीर एक्ट 1952 के सैक्शन के तहत जागीर एक्ट के कमेन्समेन्ट के तहत जिन खातेदार के नाम दर्ज हो गये है वे रैफरेन्स की कार्यवाही से निरस्त नहीं किये जा सकते। रैफरेन्सकर्ता जिन नम्बरों को ठाकुर जी महाराज की खातेदारी बताकर आया है उनमें से कुछ जमीन राष्ट्रीय राज्य मार्ग में चली गई है जिनको की रैफरेन्सकर्ता द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं कुछ जमीन राज्य सरकार द्वारा दीगर लोगों को आवटित की गई है उनको भी पक्षकार नहीं बनाया है जिससे यह सावित होता है कि रैफरेन्सकर्ता द्वारा यह कार्यवाही अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से की गई है। यह प्रकरण जागीरदारी पुनः ग्रहण के 66 वर्ष वाद उठाया गया है जो यह सावित करता है कि यह प्रकरण महज परेशान की की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। रैफरेन्स कर्ता सुभाषचन्द

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

शर्मा ने स्वंय एक प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने रैफरेन्सः प्रस्तुत किया है कि पूर्व में यह जमीन ठाकुर जी की जागीर में लगी थी किन्तु वाद में जागीर सरकार द्वारा वापिस ले ली गई और मंदिर को वार्षिक वृत्ति प्रदान की गई, प्रार्थी को उक्त कानूनी बिन्दुओं की जानकारी नहीं थी किन्तु कई लोगों से विचार विमर्श के पश्चात प्रार्थी न्यायहित में प्रकरण् को वापिस लेना चाहता है। अतः रैफरेन्स कर्ता के अनुसार भी उक्त प्रकरण वापिस किया जाना न्यायोचित है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। रैफरेन्स हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण पत्रादि के साथ पेश किया गया व बाद में इसे प्रार्थी द्वारा विड्रो करने हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है साथ ही अन्य व्यक्ति श्री मुकन्द शर्मा द्वारा आधीन आदेश–1 नियम–10 जा0दी0 सपठित धारा 151सीपीसी से प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस क्रम में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैः–

रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मंदिर ठाकुर जी की भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार के बावत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस प्रस्तुत हुई।

1– प्रार्थी प्रा0 पत्र आदेश–1 नियम–10 के कथनानुसार भूमि की जागीर अधिनियम 1952 के तहत पुनःग्रहित की कार्यवाही हुई या नहीं इस बावत दोनों ही पक्ष कोई समुचित रिकार्ड पेश नहीं कर सके।
2– साथ ही अप्रार्थीगण खातेदारों को खातेदारी अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुए बावत प्रस्तुत खतौनी जमाबन्दी में अंकित नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड की नकल भी पेश नहीं की इस बावत दोनो के अभिभाषक उभयपक्ष को रिकार्ड पेश करने का कहने पर भी कोई रिकार्ड पेश नहीं किया।

रैफरेन्स राजस्व मण्डल को भेजने से पूर्व इन बिन्दु पर समुचित जॉच होनी आवश्यक है।

अतः न्यायहित में समस्त बिन्दुओं पर राजस्व रिकार्ड व जागीर पुनःग्रहीत का भली भॉति अध्यन कर सम्पूर्ण तथ्यों व रिकार्ड सहित बाद जांच रैफरेन्स हेतु प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है व उभयपक्ष अपने–अपने दस्तावेज तहसीलदार धौलपुर को पेश करें। तहसीलदार धौलपुर बाद जॉच प्रकरण रैफरेन्स योग्य बनता हो तो इस न्यायालय को रैफरेन्स हेतु यथाशीध्र कार्यवाही सुनिश्चित करें एंव वर्तमान प्रार्थना पत्र के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बावत रैफरेन्स

अति0 जिला कलक्टर

प्रकरण को वापस लेने हेतु, को स्वीकार कर कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर